



दिनांक 06.10.2019

प्रेस विज्ञप्ति 10/19

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद सम्भल/थाना चन्दौसी

एटीएम का लाक तोड़कर रू0 चोरी करने वाले 05 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार

- एटीएम चोरी के 06 लाख 76 हजार 500 रू0 नगद
 - 03 तमंचा 315 बोर, 01 तमंचा 12 बोर विभिन्न बोर के 08 कारतूस
 - दो चार पहिया वाहन, 05 मोबाइल फोन व एटीएम काटने के उपकरण आदि बरामद
- दिनांक 05.10.2019 को थाना चन्दौसी पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर यूनियन बैंक के एटीएम के पास कचहरी रोड चन्दौसी के पास से पांच शातिर अभियुक्तों 1—संजीव कुमार 2—राजू उर्फ रघुनाथ 3—कालू उर्फ विक्रम 4—अनिल कुमार 5—जैनेन्द्र को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से एटीएम चोरी के 06 लाख 76 हजार 500 रू0 नगद, 03 तमंचा 315 बोर, 01 तमंचा 12 बोर विभिन्न बोर के 08 कारतूस, दो चार पहिया वाहन, 01 ड्रिल मशीन, 05 ड्रिल बिट्स, 05 मोबाइल फोन व एटीएम काटने के उपकरण आदि बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 22.09.2019 को मालगोदाम रोड स्थित केनरा बैंक के एटीएम से 7,13,400 रू0 की चोरी अज्ञात बदमाशों द्वारा कारित की गयी थी, जिसके संबंध में थाना चन्दौसी पर मु0अ0सं0 392/19 धारा 427/380 भादवि का अभियोग पंजीकृत कर अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों ने बरामद रूपयों को उक्त घटना से सम्बन्धित होना बताया। पूछताछ पर गिरफ्तार अभियुक्तों ने एटीएम का लाक तोड़कर रूपये चोरी करने की कई घटनाओं को कारित करना स्वीकार किया।

इस सम्बन्ध में थाना चन्दौसी पर अभियोग पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्तों को जेल भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त

- 1-संजीव कुमार निवासी कागेश्वर थाना खैरा जनपद जमुई, बिहार।
- 2-राजू उर्फ रघुनाथ निवासी कसई टण्डुआ थाना कोपा जनपद छपरा बिहार।
- 3-कालू उर्फ विक्रम निवासी कण्टाकोस थाना मनिहारी जनपद कटिहार बिहार
- 4-अनिल कुमार निवासी बुद्धनगर थाना उधैती बदायूं।
- 5-जैनेन्द्र निवासी शहजाद नगर थाना बिल्सी जनपद बदायूं।

बरामदगी

- 1-एटीएम चोरी के 06 लाख 76 हजार 500 रू0 नगद
- 2-03 तमंचा 315 बोर, 01 तमंचा 12 बोर विभिन्न बोर के 08 कारतूस
- 3-दो चार पहिया वाहन
- 4-01 ड्रिल मशीन, 05 ड्रिल बिट्स
- 5-05 मोबाइल फोन व एटीएम काटने के उपकरण आदि

जनपद जौनपुर/थाना बक्शा

- 50,000 रू0 का पुरस्कार घोषित अपराधी गिरफ्तार
- 01 पिस्टल 32 बोर, 02 मैगजीन, 03 जीवित कारतूस, 01 खोखा कारतूस
- चोरी की 01 मोटरसाइकिल बरामद

दिनांक 05.10.2019 को थाना बक्शा व काइम ब्रांच की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर छुन्छा घोट के पास मोटरसाइकिल सवार बदमाश की घेराबंदी कर पुलिस कार्यवाही के उपरांत पुरस्कार घोषित अपराधी आनन्द कुमार सिंह उर्फ शोले सिंह को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 पिस्टल 32 बोर, 02 मैगजीन, 03 जीवित कारतूस, 01 खोखा कारतूस व चोरी की 01 मोटरसाइकिल बरामद हुयी।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरुद्ध जनपद के विभिन्न थानों पर हत्या, हत्या का प्रयास, गैंगेस्टर एक्ट व आर्म्स एक्ट आदि के 05 अभियोग पंजीकृत है तथा अभियुक्त थाना बक्शा पर पंजीकृत

मु0अ0सं0 22/18 धारा 302 भादवि में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु 50,000 रू0 का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना बक्शा पर अभियोग पंजीकृत कर गिरफ्तार अश्वयुक्त को जेल भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त

1-आनन्द कुमार सिंह उर्फ शोले सिंह निवासी लखौवां थाना बक्शा जनपद जौनपुर।

बरामदगी

1-01 पिस्टल 32 बोर, 02 मैगजीन, 03 जीवित कारतूस, 01 खोखा कारतूस

2-चोरी की 01 मोटरसाइकिल

जनपद बरेली/थाना भुत्ता/फरीदपुर

- लूट की घटना का अनावरण
- पुलिस कार्यवाही में 07 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार
- 49,000 रू0 नगद, 04 तमंचा 315 बोर, 08 जीवित, 04 खोखा कारतूस, घटना में प्रयुक्त 01 चार पहिया वाहन, वादी का लुटा गया बैग
- 01 मोटरसाइकिल आदि बरामद

दिनांक 06.10.2019 को थाना भुत्ता, फरीदपुर व काइम ब्रांच की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर मियूडीखुर्द मोड़ पर चेकिंग के दौरान कार सवार बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया तो, बदमाशों द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी, जिससे आरक्षी गौरव घायल हो गया। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में दो बदमाश नाजिम व फाजिल घायल हो गये, जिन्हे मौके से गिरफ्तार किया गया। घायलो को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया। अन्य बदमाश फरार हो गये, जिनकी गिरफ्तारी हेतु थाना फरीदपुर व थाना फतेहगंज पूर्वी द्वारा चेंकिंग के दौरान पदारथपुर नहर पुलिया के पास दो बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाशों द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया, जिससे

आरक्षी शिवम घायल हो गया। पुलिस टीम द्वारा आत्रक्षार्थ कार्यवाही में बदमाश मन्नान व सलमान घायल हो गये, जिन्हे मौके से गिरफ्तार किया गया। घायलो को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

इसी क्रम में प्रकाश में आये तीन अभियुक्तों आकाश, रवि व श्रीपाल को थाना भुत्ता क्षेत्रान्तर्गत ग्राम उदरनपुर पुलिया से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से लूट के 49,000 रू0 नगद, 04 तमंचा 315 बोर, 08 जीवित, 04 खोखा कारतूस, घटना में प्रयुक्त 01 चार पहिया वाहन, वादी का लुटा गया बैग व 01 मोटरसाइकिल आदि बरामद हुयी।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 05.10.2019 को मां जगदम्बा फिलिंग स्टेशन के मालिक से 58,500 रू0 लूट की घटना को अज्ञात बदमाशों द्वारा कारित की गयी थी, जिसके संबंध में थाना भुत्ता पर मु0अ0सं0 283/19 धारा 392 भादवि का अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। पूछताछ पर गिरफ्तार अभियुक्तों ने बरामद रूपये उक्त लूट की घटना से संबंधित होना स्वीकार किया।

इस सम्बन्ध में जनपद पुलिस द्वारा आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

- 1—नाजिम निवासी सेक्टर 83 फेस—2 जनपद गौतमबुद्धनगर।
- 2—फाजिल निवासी 95/211 इन्द्रलोक थाना सराय रोहिल्ला नई दिल्ली।
- 3—मन्नान निवासी कुलेसरा थाना इकोटेक—3 जनपद गौतमबुद्धनगर।
- 4—सलमान निवासी इन्द्रलोक थाना सराय रोहिल्ला नई दिल्ली।
- 5—आकाश निवासी बिजलीघर थाना भुत्ता जनपद बरेली।
- 6—श्रीपाल निवासी भड़रिया थाना भुत्ता जनपद बरेली।
- 7—रवि निवासी गूंगा थाना भुत्ता जनपद बरेली।

बरामदगी

- 1—लूट के 49,000 रू0 नगद

2—04 तमंचा 315 बोर, 08 जीवित, 04 खोखा कारतूस

3—घटना में प्रयुक्त 01 चार पहिया वाहन, वादी का लुटा गया बैग

4—01 मोटरसाइकिल

जनपद अमेठी/थाना जामो

- लूट की घटना का अनावरण 04 अभियुक्त गिरफ्तार
 - लूट के 16 हजार 800 रू0 नगद
- 01 तमंचा 315 बोर, 01 जीवित व 01 खोखा कारतूस
 - 01 मोटरसाइकिल बरामद

दिनांक 05.10.2019 को थाना जामो पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पहलवान बाबा मन्दिर लोनार घाट के पास से चार अभियुक्तों 1—शिवम 2—सत्यम 3—दीपक 4—रघुवीर उर्फ भोले को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से लूट के 16 हजार 800 रू0 नगद, 01 तमंचा 315 बोर, 01 जीवित , 01 खोखा कारतूस व 01 मोटरसाइकिल बरामद हुयी।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 27.08.2019 को थाना जामो क्षेत्रान्तर्गत वादी रितेश सिंह से 50,000 रू0 लूट की घटना अज्ञात बदमाशों द्वारा कारित की गयी थी। पूछताछ पर गिरफ्तार अभियुक्तों बरामद रू0 को उक्त लूट की घटना से संबंधित होना बताया।

इस सम्बन्ध में थाना जामो पर अभियोग पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्तों को जेल भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—शिवम निवासी ग्राम कचनाव थाना जगदीशपुर जनपद अमेठी।

2—सत्यम निवासी दिछौली थाना जगदीशपुर जनपद अमेठी।

3—दीपक निवासी ग्राम दिछौली थाना जगदीशपुर जनपद अमेठी।

4—रघुवीर उर्फ भोले ग्राम नसीराबाद थाना जगदीशपुर जनपद अमेठी।

बरामदगी

- 1—लूट के 16 हजार 800 रू0 नगद
- 2—01 तमंचा 315 बोर, 01 जीवित , 01 खोखा कारतूस
- 3—01 मोटरसाइकिल

जनपद मुजफ्फरनगर/थाना शाहपुर

- अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित करते दो अभियुक्त गिरफ्तार
- 08 तमंचा 315 बोर, 10 अधबना तमंचा 315 बोर, 04 जीवित कारतूस
 - 04 नाल लोहा, 01 ड्रिल मशीन
 - शस्त्र बनाने के उपकरण/पुर्जे आदि बरामद

दिनांक 06.10.2019 को थाना शाहपुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार किनौनी के जंगल में अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित करते दो अभियुक्तों 1—मुनव्वर 2—अनवर को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 08 तमंचा 315 बोर, 10 अधबना तमंचा 315 बोर, 04 जीवित कारतूस, 04 नाल लोहा, 01 ड्रिल मशीन व शस्त्र बनाने के उपकरण/पुर्जे आदि बरामद हुये।

इस सम्बन्ध में थाना शाहपुर पर अभियोग पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्तों को जेल भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त

- 1—मुनव्वर निवासी ग्राम पिनना थाना कोतवाली नगर जनपद मुजफ्फरनगर।
- 2—अनवर निवासी ग्राम निरधना थाना चरथावली जनपद मुजफ्फरनगर।

बरामदगी

- 1—08 तमंचा 315 बोर, 10 अधबना तमंचा 315 बोर, 04 जीवित कारतूस
- 2—04 नाल लोहा, 01 ड्रिल मशीन
- 3—शस्त्र बनाने के उपकरण/पुर्जे आदि

जनपद बाराबंकी / थाना जैदपुर

• **25,000 रू0 का पुरस्कार घोषित अपराधी गिरफ्तार**

दिनांक 06.10.2019 को थाना जैदपुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बरैय्या चौराहे के पास से पुरस्कार घोषित अपराधी संजय को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना जैदपुर से वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25,000 रू0 का पुरस्कार घोषित था।

गिरफ्तार अभियुक्त को जेल भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त

1-संजय निवासी बेहनपुरवा थाना विभूतिखण्ड जनपद लखनऊ।

जनपद गौतमबुद्धनगर / थाना सेक्टर-20

• **25,000 रू0 का पुरस्कार घोषित अपराधी गिरफ्तार**

दिनांक 05.10.2019 मेट्रो स्टेशन सेक्टर-18 से पुरस्कार घोषित अपराधी प्रदीप कुमार को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना सेक्टर 20 पर पंजीकृत मु0अ0सं0 1144/14 धारा 379 भादवि में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25,000 रू0 का पुरस्कार घोषित था।

गिरफ्तार अभियुक्त को जेल भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त

1-प्रदीप कुमार निवासी ग्राम अमरपुर कौंडला थाना लोधा जनपद अलीगढ़।
